

**न्यायालय:अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कं.-300819 / 2005

संस्थित दिनांक-26.11.2005

फाईलिंग क.234503000162005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन****// विरुद्ध //**

- 1-उदेलाल पिता मनीराम, उम्र-50 वर्ष, जाति गोवारा,  
निवासी-ग्राम रेहंगी, थाना-मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 2-दिनेश पिता धानू, उम्र-37 वर्ष, जाति गोवारा,  
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना-मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 3-मोन्टू उर्फ यशवंत पिता निजामसिंह गोंड, उम्र-44 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम रेहंगी, थाना-मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट(म.प्र.)
- 4-सुखु उर्फ सुखराम पिता हीरासिंह गोंड, उम्र-52 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम रेहंगी, थाना-मलाजखण्ड, जिला बालाघाट
- 5-केशरसिंह पिता मल्लु उर्फ दल्लुसिंह गोंड, उम्र-57 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम रेहंगी, थाना-मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)
- 6-फटकू पिता हिरतसिंह गोंड, उम्र-42 वर्ष, जाति गोंड, (फरार घोषित)  
निवासी-ग्राम रेहंगी, थाना-मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

**आरोपीगण****// निर्णय //****(आज दिनांक- 29/05/2017 को घोषित)**

- 1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-18.08.2005 की दरमियानी रात्रि ग्राम सरेखा, थाना बैहर अंतर्गत धनीराम चौहान के खेत से मार्बल केन मशीन का पहिया, स्टील रोप, पहिया, प्लेट व बोल्ट कीमती लगभग 35,000/-रुपये फरियादी चौकीदार सनतलाल के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटकार चोरी की एवं आरोपी उदेलाल के विरुद्ध धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 आयुध अधिनियम के तहत भी आरोप है कि उसने दिनांक-21.08.2005 को दोपहर 2:50 बजे ग्राम जत्ता, बैगाटोला जंगल के पास सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी (I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल की धारदार तलवार बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सनतलाल धुपे ने दिनांक-21.08.2005 को थाना बैहर आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम जत्ता रहता है और ग्राम सरेखा की मार्बल उठाने की क्रेन की चौकीदारी तथा देखरेख करता है। दिनांक-18.08.2005 की दरमियानी रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मार्बल क्रेन मशीन का बड़ा दांतेदार पहिया, स्टील रोप, लोहा चराट लगभग 30 फुट, स्टील रोप को लपटने वाला पहिया, सेप्ट सपोटर प्लेट व लोहे के चार बड़े बोल्ट चोरी किये गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 35,000/-रुपये हैं। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-98/05, अंतर्गत धारा-379 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान संदेही आरोपी उदेलाल एवं दिनेश को पकड़ा गया, जिनके मेमोरेण्डम कथन अनुसार चोरी किया गया सामान जप्त कर कार्यवाही की गई तथा आरोपी उदेलाल के विरुद्ध धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 आयुध अधिनियम का ईजाफा किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर, फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में आरोपी केशरसिंह, फटकू, मोंटू एवं सुखराम के फरार होने से उनके संबंध में धारा-299 द.प्र.सं. के कथन अंकित कराकर उन्हें फरार घोषित किया गया तथा शेष आरोपी दिनेश व उदेलाल को विधिवत् गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी उदेलाल के विरुद्ध धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 आयुध अधिनियम के अंतर्गत तथा सभी आरोपीगण के विरुद्ध धारा-379 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण का अभियुक्त परीक्षण धारा-313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उन्होंने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-18.08.2005 की दरमियानी रात्रि ग्राम सरेखा, थाना बैहर अंतर्गत धनीराम चौहान के खेत से मार्बल क्रेन मशीन का पहिया, स्टील रोप, पहिया, प्लेट व बोल्ट कीमती लगभग 35,000/-रुपये फरियादी चौकीदार सनतलाल के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटकार चोरी की ?
2. क्या आरोपी उदेलाल ने दिनांक-21.08.2005 को दोपहर 2:50 बजे ग्राम जत्ता, बैगाटोला जंगल के पास सार्वजनिक हैं, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य

शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी (I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल की धारदार तलवार बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष:-

5- सूचक प्रश्न पूछे जाने पर परिवादी संतलाल (अ.सा.01) ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने आरोपी उदेलाल से एक लोहे की छोटे साईज की तलवार जिसमें लोहे का मुठ लगा था, जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के अनुसार जप्त की थी। जबकि अन्य साक्षी कमलसिंह (अ.सा.02) ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष प्र.पी.05 के अनुसार लोहे की तलवार जप्त होने के तथ्य से इंकार किया। विवेचक साक्षी खेलचंद पटले (अ.सा.04) के अनुसार उसने दिनांक 18.08.05 को आरोपी उदेलाल के कब्जे से प्र.पी.05 के अनुसार 21 इंच लम्बी लोहे की तलवार जिस पर लोहे का मुठ लगा हुआ था जप्त किया था। जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियोजन द्वारा जप्ती जत्ता बैगाटोला जंगल से होने का कथन किया गया है। आरोपित अपराध हेतु घटनास्थल सार्वजनिक स्थान होना आशय्यक है। अभियोजन द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान हैं और न ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में उक्त संबंध में कोई प्रश्न किये गये हैं। प्रकरण में जप्तशुदा तलवार प्रस्तुत नहीं की गयी है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय आरोपी उदेलाल ने सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में निषेधित आकार की छः इंच से अधिक लम्बी तलवार बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष:-

6- परिवादी संतलाल (अ.सा.01) का कथन है कि घटना वर्ष 2005 की है। घटना के समय वह ग्राम जत्ता में चूना खदान की चौकीदारी का कार्य करता था। खदान में लगी केन के लोहे का बड़ा चक्का चोरी कर अज्ञात चोर ले गये। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना बैहर में की थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र. पी.02 बनाया था। आरोपी उदेलाल के साथ एक अन्य आरोपी केन का चक्का छुपाने की जगह पर आये थे और चक्के को काटने की तैयारी कर रहे थे, तो गांव के कोटवार लक्ष्मीप्रदास तथा कमलसिंह के साथ आरोपीगण को पकड़कर वह ग्राम जत्ता लाकर थाना बैहर लाया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी उदेलाल से पूछताछ की थी। जिसमें उसने चार-पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर केन का बड़ा चक्का चोरी कर बैगाटोला में रखना बताया था जो मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 है। आरोपी दिनेश ने भी अपने मेमोरेण्डम कथन प्र.

पी.04 में चार-पांच लोगों के साथ मिलकर चोरी करने वाली बात बतायी थी जिनके नाम उसे आज ध्यान नहीं है और उक्त केन चक्का बैगाटोला मेन रोड किनारे रखना बताया था। दूसरे दिन तब वह लोग चक्का उठाकर लाये थे, पुलिस ने जप्ती पत्रक प्र.पी.05, 06 एवं 07 के अनुसार जप्त की थी। पुलिस ने उसके समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 एवं 09 के अनुसार आरोपी उदेलाल व दिनेश को गिरफ्तार किया था उक्त समस्त दस्तावेजों के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी उदेलाल से एक लोहे की छोटी साईज की तलवार जिसमें लोहे का मुठ लगा था, एक बड़ा दांतेदार गियर चक्का तथा आरोपी दिनेश से लोहा सराय लपेटने वाला लोहे का छोटा राउण्डर, केन मशीन, चार बड़े लोहे के बोल्ट जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 बनाया था। जप्त किये गये सभी सामान चोरी हुए थे तथा घटना पुरानी होने से पूरी बात ध्यान में न होने के कारण उसने पूरी बात मुख्य परीक्षण में नहीं बताया था।

7— प्रतिपरीक्षण में साक्षी संतलाल (अ.सा.01) के कथन हैं कि आरोपी उदेलाल को उसके समक्ष गिरफ्तार नहीं किया गया था तथा उदेलाल से जप्त तलवार की लम्बाई एक मीटर थी। उसने घटनास्थल से चोरी होते हुए तथा चोरी किसने किया था, नहीं देखा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेमोरेण्डम कथन में दिनेश ने क्या बताया था। दिनेश से उसके समक्ष लोहे का तीस फिट का चराट जप्त नहीं हुआ था। सारा सामान एक साथ रखा हुआ था। किस आरोपी से क्या-क्या जप्त हुआ था वह नहीं बता सकता। जिस दिन सामान चोरी हुआ था उसके दूसरे दिन सुबह समानों को देख लिया था। 17 तारीख की रात को सामान चोरी हुआ था उसने 18 तारीख को देखा था और 18 तारीख को रिपोर्ट कर दिया था। आज उसे ध्यान नहीं है कि उसने 21 तारीख को रिपोर्ट की थी या नहीं। चोरी के बारे में जब उसे पता लगा उसी दिन उसने रिपोर्ट कर दी। जहां से सामान चोरी गया और जहां से सामान जप्त हुआ उसकी दूरी लगभग 01 कि०मी० है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि जप्ती की कार्यवाही थाने में की गयी थी और मौकानक्शा प्र.पी.02 पुलिस ने गलत बनाया।

8— कमलसिंह (अ.सा.02) का कथन है कि वह आरोपी उदेलाल को छोड़कर अन्य आरोपीगण को नहीं जानता। घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग 15 वर्ष पुरानी उनकी सरेखा चूना खदान बैगाटोला के जंगल की बात है। उनकी चूना खदान की मशीन का चक्का चोरी हो गया था। पुलिस जांच के लिए आयी थी और चक्का पाया था जिसे पकड़कर अपनी गाड़ी में भरकर थाना ले गयी थी। पुलिस ने आरोपी उदेलाल को पकड़ा



था और उससे पूछताछ की थी। आरोपी उदेलाल के साथ चार-पांच अन्य लोग भी थे जिनके नाम आज उसे याद नहीं हैं। पुलिस ने आरोपी उदेलाल से पूछताछ की थी। जिसने चुराये हुए समान को रोड किनारे जंगल में छुपाकर रखना बताया था। उक्त समानों को जप्त कर पुलिस थाना लेकर गयी थी और आरोपी उदेलाल तथा चार-पांच अन्य आरोपीगण को भी गिरफ्तार कर थाना लेकर गयी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे दिनांक 19.08.15 को जानकारी मिली थी कि सरेखा के मार्बल केन का समान चोरी हो गया है। जिसकी जांच के लिए पुलिस आयी थी। पुलिस के साथ वह कोटवार लक्ष्मीप्रसाद तथा संतलाल जांच के लिए गये थे। उनको बैगाटोला के जंगल नाला रोड पर झाड़ी में एक व्यक्ति दिखायी दिया जिसको पुलिस ने पकड़ने के लिए कहा वह व्यक्ति उदेलाल था परंतु उसने यह नहीं देखा था कि उदेलाल के साथ छोटे साईज की तलवार थी घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी उदेलाल को पकड़ा था जिसने पूछताछ पर फत्तु गोंड, केसरसिंह, सुखराम, दिनेश, मोंटू मोहगांव मलाजखण्ड के साथ केन मशीन का समान चोरी करना स्वीकार किया था। आरोपी उदेलाल ने उसके समक्ष मार्बल केन मशीन का बड़ा दांतेदार चक्का लोहा चराट रस्सी साफ्ट चोरी किये समान को बैगाटोला के जंगल तक लाना और बड़े चाक को झाड़ी में रखना चलो चलकर दिखा देता हूँ, की बात मैमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 दिनांक 21.08.15 में स्वीकार की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी दिनेश गोवारा ने भी प्र.पी.04 के अनुसार समान चोरी करना स्वीकार कर सरेखा केन मशीन में लगे बड़े साईज के दांतेदार चक्के, लोहे साफ्ट की रस्सी को खोलकर चुराकर बैगाटोला के जंगल में लाकर झाड़ी में छुपाना स्वीकार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9— कमलसिंह (अ.सा.02) के अनुसार आरोपी उदेलाल से उसके समक्ष लोहे की छोटे साईज की तलवार जप्त नहीं की गयी थी परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी उदेलाल से उसके समक्ष प्र.पी.06 के अनुसार एक दांतेदार चक्का उंचाई 3.5 फिट लोहा साफ्ट से जुड़ा हुआ कीमत अठारह हजार रुपये का जप्त किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी गोवारा से उसके समक्ष प्र.पी.07 के जप्ती पत्रक के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपीगण को प्र.पी.08 एवं 09 के अनुसार उसके समक्ष गिरफ्तारी किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन हैं कि उसे आज घटना की तारीख याद नहीं है। घटनास्थल पर उसने किसी आरोपीगण को घटना कारित करते हुए नहीं देखा था। पुलिस के द्वारा आरोपीगण का नाम

बताने पर वह आज आरोपीगण का नाम बता रहा है। पुलिस के कहने पर उसने जप्ती पत्रक और गिरफ्तारी पत्रक पर हस्ताक्षर किया था। पुलिस ने उक्त दस्तावेज उसे पढ़ने नहीं दिये थे और पढ़कर भी नहीं बताये थे। वह प्रार्थी के साथ बैहर थाने आया था और पुलिसवालों के कहने पर उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया था।

10- लक्ष्मीप्रसाद (अ.सा.03) का कथन है कि वह आरोपी उदेलाल को छोड़कर अन्य आरोपीगण को नहीं जानता। प्रार्थी सनतलाल एवं कमलसिंह को जानता है जो उसके गांव के हैं। घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग 15-16 वर्ष पुरानी ग्राम जत्ता की है। चूना खदान में मार्बल केन मशीन से लोहे का समान चोरी हो गया उसे सनतलाल धूपे ने बताया कि मार्बल केन के लोहे के दांतेदार चक्के चोरी हुए थे। सनतलाल ने चोरी के संबंध में थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराया था। थाना बैहर की पुलिस जांच पड़ताल के लिए ग्राम जत्ता आयी थी और सनतलाल और कमलसिंह भी आये थे। जांच की गयी तब पुलिस ने उदेलाल को पकड़ा था। पुलिस ने गांववालों ने पुलिस से पूछताछ की थी जिसने चोरी करना बताया था और पुलिस आरोपी उदेलाल को पकड़कर ले गयी थी। पुलिस ने जप्त किये गये समान को ट्रेक्टर में भरकर ले गयी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन है कि उसे घटना की तारीख याद नहीं है उसने घटनास्थल से आरोपी उदेलाल को सामान चोरी करते हुए नहीं देखा था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी उदेलाल का नाम बताया तब से वह आरोपी उदेलाल को जानता है।

11- खेलचंद पटले (अ.सा.04) का कथन है कि दिनांक 21.08.05 को पुलिस थाना बैहर में पदस्थापना के दौरान प्रार्थी सनतलाल धूपे की सूचना पर उसके द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 98/05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेख की गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल पर जाकर सनतलाल धूपे के बताये अनुसार नजरी नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही सनतलाल धूपे तथा साक्षी कमलसिंह, लक्ष्मीप्रसाद के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही सनतलाल तथा कमलसिंह के समक्ष आरोपी दिनेश गोवारा का मैमोरेण्डम कथन प्र.पी.04 लेख किया था जिसमें आरोपी ने दिनांक 18.08.05 को रेंहगी से सरेखा गये केन मशीन में लगे बड़े साईज के दांतेदार लोहे के गोल चाक पाने से खोलकर चोरी करना और बैगाटोला के जंगल में ढकेलते हुए लाना जो उसे हटकु, केसर, सुखराम, सुक्खु, मोंटू द्वारा देखने और जागते रहना बोल रहा था। जिसके सी

से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी उदेलाल के उक्त गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 लेख किया था जिसमें दिनांक 18.08.05 को अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर लोहे के केन का बड़ा दांतेदार पहिया, स्टील रोप प्लेट पहिया, चार लोहे के बोल्ट जंगल लाना और एक बड़ा चाक झाड़ी के नीचे रखा होना चलो चलकर दे देता हूँ के कथन दिया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्र.पी.05 के अनुसार एक लोहे की छोटी साईज की तलवार लोहे का मुठ लगा हुआ जिसकी लम्बाई 21 इंच आरोपी के कब्जे से जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी उदेलाल के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को एक बड़ा दांतेदार चाह उंचाई 3.5 फिट लोहा साफ्ट से जुड़ा कीमत अठारह हजार रुपये गवाह संतलाल, कमलसिंह के समक्ष प्र.पी.06 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी उदेलाल के हस्ताक्षर हैं।

12— खेलचंद पटले (अ.सा.04) के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी दिनेश गोवारा से एक केन मार्बल मशीन स्टील रोप लपेटने वाला लोहे का राउण्डर, चार बड़े लोहे के बोल्ट प्र.पी.07 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी दिनेश के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी उदेलाल एवं दिनेश गोवारा को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 एवं 09 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपीगण उदेलाल एवं दिनेश के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 04.10.05 को फरार आरोपीगण केसर, मोंटू, सुक्कु एवं सुखराम, फट्टू का फरारी पंचनामा तैयार किया गया था। फरार आरोपीगण का पता न लगने पर इशतहार पर चल, अचल संपत्ति की जानकारी पटवारी हल्का नम्बर-42 विजयसिंह राठौर से प्राप्त की गयी तथा अनुमति उपरांत इस्तिहार जारी किया गया। गिरफ्तार आरोपीगण उदेलाल, दिनेश तथा फरार आरोपीगण केसर, फटकू, मोंटू, उर्फ यशवंत तथा सुक्खु उर्फ सुखराम के विरुद्ध धारा 299 के अनुसार विवेचना पूर्ण कर थाना प्रभारी महोदय के आदेश उपरांत न्यायालय में पेश किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन हैं कि विवेचना के दौरान उसने चोरी गयी वस्तु के स्वामित्व एवं कब्जे के स्टॉक रजिस्टर, बिल, रसीद जप्त नहीं किया था। साक्षी के अनुसार पुराने सामान होने के कारण रसीद उपलब्ध नहीं थी। संबंधित कंपनी से किसी भी व्यक्ति के कथन विवेचना के दौरान उसने लेखबद्ध नहीं किये। उसने मेमोरेण्डम कथन प्रथम प्र.पी.04 में उल्लेखित पाना आरोपी से जप्त नहीं किया। बरामदगी के पश्चात उसने वस्तु की शिनाख्ती कार्यवाही नहीं करवायी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किये और आरोपीगण के कोई मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध नहीं



किया। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसने साक्षीगण कमलसिंह तथा लक्ष्मीप्रसाद के हस्ताक्षर पुलिस थाना बैहर में लिये थे।

13- साक्ष्य की सूक्ष्मता के अवलोकन पर यह दर्शित है कि घटना दिनांक 18.08.2005 की है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 दिनांक 21.08.2005 को लेख की गयी है। जिस हेतु उक्त रिपोर्ट में तलाशी तथा अत्यधिक बारिश होने का कारण लेख किया गया है। परिवादी संतलाल (अ.सा.01) ने मुख्य परीक्षण में ही आरोपी उदेलाल तथा अन्य को कोटवार लक्ष्मीप्रसाद तथा कमलसिंह के साथ पकड़कर ग्राम जत्ता तत्पश्चात थाना बैहर लाने के कथन किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि 17 तारीख को चोरी होने के पश्चात 18 तारीख को उसने चोरी का सामान देखने के पश्चात उक्त दिनांक को ही रिपोर्ट कर दी थी। तत्पश्चात साक्षी ने कथन किये कि चोरी के बारे में पता लगने के दिन ही उसने रिपोर्ट कर दी थी। जबकि मेमोरेण्डम तथा जप्ती के अन्य साक्षी कमलसिंह अ0सा02 ने स्वीकार किया है कि प्रार्थी के साथ बैहर थाने आने पर पुलिसवालों के कहने पर उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी लक्ष्मीप्रसाद अ0सा03 की साक्ष्य अभियोजन के लिए विशेष सहायक नहीं है तथा अभियोजन द्वारा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण उदेलाल तथा दिनेश को छोड़कर अन्य अभियुक्तगण के संबंध में प्रकरण में कोई विशेष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अभियुक्तगण उदेलाल तथा दिनेश से जप्ती की कार्यवाही संदिग्ध है। अभियुक्तगण को चोरी करते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज है जिसके विलम्ब से लेख किये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार साक्ष्य की विवेचना से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। जिससे फलस्वरूप अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को परिवादी की अभिरक्षा से कथित सामग्री उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतः अभियुक्तगण को भा.दं0स0 की धारा 379 तथा अभियुक्त उदेलाल को धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

14- प्रकरण में आरोपी उदेलाल, दिनेश, मोन्टु उर्फ यशवंत, सुक्खु उर्फ सुखराम, केशरसिंह की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15- प्रकरण में आरोपी दिनेश दिनांक-22.08.2005 से दिनांक-17.09.2005 तक, आरोपी उदेलाल दिनांक-22.08.2005 से दिनांक-17.09.2005 तक, दिनांक-10.03.2012 से



दिनांक-13.03.2012 तक, दिनांक-26.10.2015 से दिनांक-06.11.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं तथा आरोपी केशरसिंह, मोंटू उर्फ यशवंत, सुक्खु उर्फ सुखराम न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

16- प्रकरण में आरोपी फटकू के फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)